भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3785
जिसका उत्तर गुरुवार, 03 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

युवा अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता

3785 श्री निरंजन बिशी :

श्रीमती सुलता देव :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की ओडिशा में युवा अधिवक्ताओं को वजीफा प्रदान करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो पात्रता मानदंड, आवेदन प्रक्रिया और वजीफे के रूप में प्रदान की जाने वाली राशि सहित ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पिछले वर्ष ऐसी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले युवा अधिवक्ताओं की संख्या कितनी है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) : उपर्युक्त उल्लिखित प्रश्न के संबंध में यह प्रस्तुत किया जाता है कि अधिवक्ता अधिनियम, 1961, अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 2001 और संबंधित राज्य कल्याण अधिनियमों के अधीन, भारतीय विधिज्ञ परिषद तथा राज्य विधिज्ञ परिषदों को विभिन्न आकस्मिकताओं में अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अधिकृत हैं । अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 6 (2) और धारा 7(2) के उपबंधों के अनुसार, राज्य विधिज्ञ परिषद् और भारतीय विधिज्ञ परिषद् (बीसीआई) को निर्धन, विकलांग या अन्य अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजनाएं आयोजित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से विहित रीति से क्रमशः एक अथवा अधिक निधियां गठित करने की शक्ति प्राप्त है। इस संबंध में, कुछ राज्य सरकारों ने युवा अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपने संबंधित राज्य अधिनियमों के अधीन कल्याण निधि' और 'अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति' का गठन भी किया है।

ओडिशा सरकार ने ओडिशा अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1987 का गठन किया है । भारत सरकार के पास ओडिशा में युवा अधिवक्ताओं को वजीफा देने के लिए कोई विशिष्ट योजना या निधि नहीं है।

****